न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रदीप सिंह सांगावत, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 76 / 2018 (उदयपुर डिक्री)

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्ट

बनाम

1. सुखदेवसिंह पिता नाहरसिंह राजपूत (मृतक) के बजाय :–

1/1. योगेन्द्रसिंह पिता श्री सुखदेवसिंह राजपूत, निवासी बेदला, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

1/2. विजय कुंवर पिता श्री सुखदेवसिंह राजपूत, निवासी बेदला, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

1/3. दशरथ कुंवर पिता श्री सुखदेवसिंह राजपूत, निवासी बेदला, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

2. रायसिंह पिता श्री नाहरसिंह राजपूत, निवासी बेदला, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर (राज.)

3. लक्ष्मीनारायण जी स्थान देह जरिये मैनेजर भैरूसिंह पिता श्री भवानीसिंह चौहान, निवासी बेदला, तहसील बड़गांव (तत्समय तहसील गिर्वा) वाद मित्र भवानीसिंह के स्थान पर महेन्द्र कुमार पिता श्री मोहनलाल नागदा नियुक्त हुआ

.... रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा–223 राजस्थान
काश्त.अधि. 1955 विरूद्ध निर्णय डिक्री
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), गिर्वा
दिनांक 04.05.2017 प्र. सं. 535 / 2013

———::———

उपस्थित (वक्त बहस) :– 1– श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक
2– श्री संजय बोहरा अभिभाषक रेस्पो. सं. 2

———::———

निर्णय   दिनांक 23–11–2023

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा बड़गांव में आराजी नंबर 95 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा एवं आराजी नंबर 96 रकबा [illegible] बीघा 1 बिस्वा कुल किता 2 रकबा 4 बीघा 5 बिस्वा भूमि स्थित है, जिसके हाल आराजी नंबर 437, 438, 439, 460 व 461

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:05:02 IST
Reason: SelfAttested

कुल किता 5 रकबा 0.9850 हैक्टर है। उक्त भूमि वादी के पिता के नाम पूर्व सेटलमेन्ट में दर्ज थी। यहां तक कि जमाबन्दी सेटलमेन्ट विभाग संवत् 2010 में मालिक हासिल श्री लक्ष्मीनारायण के दर्ज थी व खडमदार नाहरसिंह पिता मानसिंह राजपूत दर्ज थे। कथित जमीन मंदिर माफी की थी तथा मंदिर की माफी दिनांक 01–07–1963 को रिज्यूम हो गयी तथा माफी रिज्यूम होने के बाद उक्त जमीन नाहरसिंह के नाम खातेदारी हक से दर्ज हो गयी तथा सरकार का नाम लगान लेने वाले के रूप में दर्ज था, जो जमाबन्दी संवत् 2023 से 2026 से स्पष्ट है। सेटलमेन्ट के दौरान नाहरसिंह का स्वर्गवास हो जाने से नई जमाबन्दी संवत् 2042 से 2045 में लक्ष्मीनारायण जी स्थान देह को खातेदार के रूप में दर्ज कर दिया गया एवं पुजारी के रूप में वादीगण का नाम लिख दिया गया, जो नाहरसिंह व उसके वारिसान को बिना सुने किया गया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। उक्त जमीन कभी भी लक्ष्मीनारायण जी के खुदकाश्त की नहीं थी, न ही एक भी दिन खुदकाश्त के रूप में देवता के नाम दर्ज है। जागीर रिजम्पशन एक्ट 1952 की धारा 9 के अनुसार माफी रिजम्पशन होते ही वादीगण के पिता उक्त जमीन के खातेदार काश्तकार बन गये थे, क्योंकि वे पहले से ही खड़मदार दर्ज थे। सेटलमेन्ट विभाग को पूर्व इन्द्राज को ही रिपीट करना चाहिए था, इन्द्राज बदलने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। वादी अपने पूर्वजों के समय से लगभग 100 से भी अधिक वर्षो से काबिज चला आ रहा है। उक्त जमीन कभी भी सेटलमेन्ट के पूर्व प्रतिवादी संख्या 1 के खातेदारी में दर्ज नहीं रही। अतः वाद वर्णित आराजियात का वादीगण को खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे।

प्रतिवादीगण द्वारा खण्डन का जवाबदावा प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा 3 तनकियां कायम की गयी तथा उभयपक्षों की बहस सुनकर अपने निर्णय दिनांक 04–05–2017 से वादीगण का वाद स्वीकार कर डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 18–07–2018 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से अभिभाषक श्री संजय बोहरा उपस्थित हुए। अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 द्वारा लिखित बहस भी प्रस्तुत की गयी जो पत्रावली के रेकार्ड पर है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब कर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:05:02 IST
Reason: SelfAttested

अपीलान्ट ने अपील के साथ मियाद अधिनियम की धारा 5 पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन आदेश की अपील प्रस्तुत करने हेतु दिशा निर्देश प्राप्त होने पर राजकीय अधिवक्ता से सम्पर्क कर आवश्यक दस्तावेजों का संकलन करने एवं राजस्व गांवों में न्याय आपके द्वार अभियान में व्यस्त होने से अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ है। अतः विलम्ब को कण्डोन कर अपील अन्दर मयाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 के विद्वान अभिभाषक ने बताया कि तथाकथित जमीन से सरकार का कोई संबंध नहीं होने से उन्हें अपील प्रस्तुत करने का ही अधिकार नहीं है, क्योंकि उक्त भूमि कभी भी राज्य सरकार के नाम खातेदारी हक से दर्ज नहीं थी, उनका नाम गलत दर्ज होने से रेस्पोन्डेन्ट द्वारा घोषणा का वाद प्रस्तुत किया गया, जिसमें राज्य सरकार भी पक्षकार थी तथा उनकी उपस्थिति में उक्त निर्णय व डिक्री जारी की गयी है। उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी इन्हें शुरू से ही थी तथा स्वयं तहसीलदार द्वारा उक्त डिक्री की पालना में नामान्तरकरण रेस्पोन्डेन्ट के पक्ष में स्वीकृत किया गया। अपील लगभग एक वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है, जिसका कोई ठोस कारण अपीलान्ट द्वारा नहीं बताया गया है। अतः अपील बेरून मयाद होने से मात्र इसी आधार पर खारिज की जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें RRT 2007 (2) Page 788 (H.C.), RRT 2007 (2) Page 939 (S.C.), RRT 2014 (2) Page 1331 (S.C.), RRD 1995 Page 64 (H.C.) प्रस्तुत की।

हमने उक्त प्रार्थना पत्र की बहस पर मनन किया तथा प्रस्तुत न्यायिक नजीरों व उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 04–05–2017 के विरूद्ध अपील इस न्यायालय में दिनांक 18–07–2018 को प्रस्तुत की गयी है, जबकि अपील की मियाद 60 दिवस अर्थात दिनांक 03–07–2017 तक प्रस्तुत हो जानी चाहिए थी अर्थात अपील करीब एक वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है एवं इसके लिए जो कारण बताये हैं वह न तो उचित प्रतीत होते हैं, न ही एक वर्ष विलम्ब के लिए कोई पर्याप्त कारण है वह भी उस स्थिति में जबकि स्वयं तहसीलदार द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में जवाबदावा प्रस्तुत किया गया है एवं वक्त निर्णय वह उपस्थित रहे हैं। इतना ही नहीं उक्त निर्णय व डिक्री की पालना में वादीगण के पक्ष में उनके द्वारा नामान्तरकरण भी स्वीकृत किया गया है। इस संदर्भ में जो न्यायिक नजीरें अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गयी हैं उसके अनुसार विलम्ब से प्रस्तुत अपील के लिए स्वीकृत दिया जाना आवश्यक है, केवल

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:05:02 IST
Reason: SelfAttested

सहानुभूति के आधार पर विलम्ब का उपशमन नहीं किया जा सकता। तद्नुसार अपील बेरून होने से मात्र इसी आधार पर खारिज योग्य है।

जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है, विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को वक्त बहस पुनः दोहराया तथा बताया कि वादग्रस्त भूमि लक्ष्मीनारायण जी स्थान देह के नाम प्रारम्भ से ही रही है, चूंकि मूर्ति माफी/मन्दिर साश्वत नाबालिग है, जिसकी खातेदारी भूमि किसी भी बेनामें द्वारा या किसी भी अधिकारी द्वारा हस्तान्तरित नहीं की जा सकती है। मूर्ति साश्वत नाबालिग होने से इसके संरक्षण के लिए संरक्षक नियुक्त होना चाहिए था। अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रकरण में श्री लक्ष्मीनारायण स्थान देह की पैरवी में कोताही बरती है तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का सही विवेचन नहीं कर मनमकसूद तरीके से निष्कर्ष निकाला है तथा तनकीवार विवेचन नहीं किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे तथा विवादित आराजियात श्री लक्ष्मीनारायण जी स्थान देह के नाम दर्ज करने का आदेश फरमाया जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने अपनी लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर रेस्पोन्डेन्ट/वादीगण को खातेदार घोषित किया है। कथित डिक्री की हकरसी स्वयं तहसीलदार द्वारा की गयी है तथा स्वयं तहसीलदार ने इसका नामान्तरकरण स्वीकृत किया है, जिसे 10 माह से भी अधिक समय हो चुका है। विवादित भूमि बिलानाम सरकार नहीं है इस कारण अपीलान्ट हितबद्ध व्यक्ति नहीं है तथा उन्हें अपील पेश करने का ही कोई अधिकार नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय ने दावा सही डिक्री किया है, क्योंकि रेकार्ड को देखने से स्पष्ट है कि लक्ष्मीनारायण जी स्थानदेह केवल मात्र माफीदार थे तथा इसके खड़मदार सुखदेव जी के पिता नाहरसिंह जी थे तथा देवता की माफी पूरे राजस्थान में दिनांक 01–07–1963 को रिज्यूम की गयी तथा जागीर रिजम्पशन एक्ट 1952 की धारा 9 के अनुसार भी माफीदार के खड़मदार, खातेदार, बापीदार आदि थे वह माफी रिज्यूम होते ही धारा 9 के अनुसार खातेदार काश्तकार बन चुके थे। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोन्डेन्ट/वादीगण का वाद विधिक प्रक्रिया के तहत ही डिक्री किया गया है। अतः अपील सारहीन होने से खारिज की जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें RRT 2015 (2) Page 1214, RRT 2016 (1) Page 537, RRD 1991 Page 6 (H.C.), RRD 2000 Page 570 प्रस्तुत की।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष के तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलान्ट का मुख्य आपत्ति यह है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:05:02 IST
Reason: SelfAttested

तनकीवार विवेचन नहीं किया गया है। तनकी नंबर 1 इस प्रकार है कि ''आया वाद के पैरा नंबर 1 में वर्णित जमीन का वादीगण खातेदार काश्तकार घोषित कराये जाकर खातेदारी हक से राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज कराने का अधिकार है।'' इस तनकी को साबिक कराने का भार वादीगण पर था, जिसके संबंध में वादीगण की ओर से प्रदर्श 1 से प्रदर्श 9 तक प्रस्तुत किये हैं। प्रदर्श 1 में विवादित साबिक आराजी नंबर 95 व 96 मालिक हासिल के कॉलम में श्री लक्ष्मीनारायण जी स्थान देह दर्ज होकर खडमदार के कॉलम में वादीगण के पिता नाहरसिंह का नाम दर्ज है एवं इसी प्रकार का अंकन प्रदर्श 2 व प्रदर्श 3 में भी किया हुआ है। प्रदर्श 4 संवत् 2023 से 2026 में विवादित आराजियात वादीगण के पिता नाहरसिंह के खातेदारी में दर्ज है एवं यही इन्द्राज प्रदर्श 5 जमाबन्दी संवत् 2027 से 2030 में भी किया हुआ है। प्रदर्श 6 अनुसार साबिक आराजी नंबर 95 व 96 से हाल आराजी नंबर 437, 438, 439, 460 व 461 बनना प्रकट होता है, किन्तु बाद सेटलमेन्ट बनी जमाबन्दी संवत् 2042 प्रदर्श 7 में श्री लक्ष्मीनारायण जी स्थानदेह को खातेदार घोषित कर वादीगण का नाम बतौर पुजारी अंकित कर दिया गया है एवं यही अंकन आगे की जमाबन्दी प्रदर्श 8 व प्रदर्श 9 में किया हुआ है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में हालांकि तनकीवार विवेचन नहीं किया गया है, किन्तु अपने विवेचन में प्रस्तुत माननीय राजस्व मण्डल द्वारा जारी परिपत्र 636–687 दिनांक 06–01–2010 व सरकार द्वारा जारी परिपत्र 4–3(2)राज.6/2007/44 दिनांक 25–05–2007 का हवाला देते हुए तथा प्रस्तुत न्यायिक नजीरों की रोशनी में यह माना है कि ''जागीर के अधिग्रहण के समय मंदिर माफी की भूमि जो किसी व्यक्ति के नाम खातेदार पट्टेदार अथवा खडमदार आदि के नाम दर्ज थी उसमें उन खातेदातों को पूर्ण उत्तराधिकार योग्य एवं हस्तान्तरित अधिकार प्राप्त होंगे ऐसी भूमियों के पुनः मंदिर के नाम दर्ज कराया जाना विधि सम्मत नहीं है। राजस्व रेकार्ड में ऐसे व्यक्तियों का नाम निरन्तर खातेदार के रूप में दर्ज रहेगा।'' जमाबन्दी अनुसार वादीगण के पूर्वाधिकारी विवादित भूमि के खडमदार दर्ज थे तथा जागीर रिजम्पशन एक्ट 1952 की धारा 9 अनुसार माफी रिजम्पशन होते ही रेस्पोन्डेन्ट/वादीगण पिता खातेदार बन गये तथा उनका नाम भी बतौर खातेदार जमाबन्दी संवत् 2023 से 2026 में अंकित हो गया जिसे जमाबन्दी संवत् 2027 से 2030 में भी रिपीट किया गया, किन्तु सेटलमेन्ट के दौरान वादीगण के पिता का नाम हटाकर भूमि पुनः श्री लक्ष्मीनारायण जी स्थानदेह के नाम दर्ज कर दी गयी, जबकि सेटलमेन्ट विभाग को सेटलमेन्ट के दौरान बिना किसी सक्षम आदेश के पूर्व इन्द्राज को ही दोहराना होता है, जैसाकि अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक RRT 2016 (1) Page 537 के अवलोकन से स्पष्ट है। ऐसी स्थिति में रेस्पोन्डेन्ट/वादीगण खातेदार काश्तकार घोषित

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:05:02 IST
Reason: SelfAttested

कराये जाने के अधिकारी होने से तनकी नंबर 1 का निर्णय रेस्पोन्डेन्ट/वादीगण पक्ष में किया जाता है।

जहां तक तनकी नंबर 2 का प्रश्न है कि ''आया वाद के पैरा नंबर 1 में वर्णित जमीन के संबंध में प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादी स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं।'' चूंकि हमारे द्वारा उपर किये गये विवेचन अनुसार तनकी नंबर 1 रेस्पोन्डेन्ट/वादीगण के पक्ष में साबित है, जबकि अपीलान्ट/प्रतिवादीगण रेस्पोन्डेन्ट/वादीगण के वाद को अस्वीकार करते हैं। ऐसी स्थिति में स्पष्ट होता है कि कि अपीलान्ट/प्रतिवादीगण रेस्पोन्डेन्ट/वादीगण के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करते हैं। तद्नुसार रेस्पोन्डेन्ट/वादीगण अपीलान्ट/प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अधिनस्थ न्यायालय ने हालांकि तनकीवार विवेचन नहीं किया है, किन्तु पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का पूर्ण विवेचन करते हुए रेस्पोन्डेन्ट/वादीगण का वाद डिक्री किया है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट बेरून मयाद एवं सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 04–05–2017 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 23–11–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:05:02 IST
Reason: SelfAttested

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**प्रदीप सिंह सांगावत, आर.ए.एस.** .....

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, बड़गांव, जिला उदयपुर बनाम **सुखदेवसिंह के बजाय योगेन्द्रसिंह पिता श्री सुखदेवसिंह, निवासी बेदला, तहसील बड़गांव, जिला उदयपुर व अन्य**

अपील नं.....**76 / 2018**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)** .....**गिर्वा**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**04**.....माह.....**05**.....**2017**.....

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**23**.....माह.....**11**.....सन् **2023** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री कमलेश चौहान**.....मिनजानिब अपीलान्ट व.....**श्री संजय बोहरा**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील अपीलान्ट बेरून मयाद एवं सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 04–05–2017 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....)..... रूपये ..... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**23**.....माह.....**11**.....**2023** को जारी किया गया।

(प्रदीप सिंह सांगावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pradeep Singh Sangawat
Date: 2024.02.05 12:05:02 IST
Reason: SelfAttested